NEXT IAS

# दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

**समय:** 45 मिनट

**दिनाँक:** 11-04-2026

## विषय सूची


भारत के जलाशयों की क्षमता आधी से कम हुई: केंद्रीय जल आयोग (CWC) के आँकड़े

विधानमंडलों में महिलाओं का आरक्षण

भारत द्वारा वर्ष 2028 में COP 33 की मेजबानी के लिए अपनी अभिरुचि वापस

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजनाओं हेतु प्रारूप मास्टर प्लान

**संक्षिप्त समाचार**

महात्मा ज्योतिराव फुले

प्रोजेक्ट ग्लासविंग

ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म

इंडस नदी डॉल्फ़िन

सूक्ष्मजीवी मीथेन

## भारत के जलाशयों की क्षमता आधी से कम हुई: केंद्रीय जल आयोग (CWC) के आँकड़े

### संदर्भ

- केंद्रीय जल आयोग (CWC), जो भारत के 166 जलाशयों और 20 नदी बेसिनों की निगरानी करता है, ने अपने नवीनतम आँकड़ों में जल स्तर में तीव्र गिरावट को चिन्हित किया है।

### परिचय

- 166 जलाशयों की कुल जीवित भंडारण क्षमता, जिनकी निगरानी CWC करता है, 183.565 अरब घन मीटर (BCM) है, जो देश की अनुमानित कुल क्षमता 257.812 BCM का लगभग 71.2% है।
- भारत के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर कुल क्षमता के 45% से नीचे गिर गया है।
  - कई जलाशय गंभीर रूप से निम्न या शून्य स्तर पर पहुँच चुके हैं।
- भारत के अधिकांश 20 नदी बेसिन अब 30% से 60% क्षमता के बीच कार्य कर रहे हैं, केवल कुछ ही इससे ऊपर हैं। बिहार में चंदन बाँध पूरी तरह सूख गया है।
- दक्षिण भारत में सबसे तीव्र गिरावट देखी गई है, जिससे ग्रीष्मकाल के चरम से पहले चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- कुल मिलाकर, आँकड़े जल स्तर में व्यापक गिरावट का संकेत देते हैं, जिससे विशेषकर दक्षिण और पश्चिम भारत में ग्रीष्मकालीन जल संकट का जोखिम बढ़ रहा है।

### जलाशय

- जलाशय प्राकृतिक या कृत्रिम भंडारण स्थल होते हैं जहाँ भविष्य के उपयोग हेतु जल संचित किया जाता है।
  - इनमें नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूजल जलभृत, बाँध जलाशय, टैंक और नहरें शामिल हैं।
  - ये विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **क्षमता में गिरावट के कारण:**
  - **गाद जमाव (सिल्टेशन):** समय के साथ गाद और मलबे का संचय भंडारण क्षमता को कम करता है।
  - **कैचमेंट क्षेत्र का क्षरण:** वनों की कटाई, खनन और अत्यधिक चराई से मृदा अपरदन और गाद प्रवाह बढ़ता है।
  - **अतिक्रमण एवं शहरीकरण:** जलाशय क्षेत्रों और फीडर चैनलों पर अवैध नियंत्रण प्रभावी भंडारण को घटाता है।
  - **यूट्रोफिकेशन एवं जलीय खरपतवार:** पोषक प्रदूषण से शैवाल और खरपतवार की अत्यधिक वृद्धि होती है, जो स्थान घेरती है।
  - **जलवायु परिवर्तनशीलता:** अनियमित वर्षा और सूखा प्रवाह को कम करते हैं और गाद जमाव को तीव्र करते हैं।

### भारत में जल संकट

- भारत में विश्व की जनसंख्या का 18% है, किंतु केवल 4% स्वच्छ जल उपलब्ध है।
- विश्व बैंक ने भारत को सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त देशों में से एक बताया है।
  - 2040 तक भारत के कई हिस्सों में बढ़ती माँग, खराब प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर जल संकट हो सकता है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में औसत भूजल दोहन स्तर 60.4% है।

### जल संकट के प्रमुख कारण

- तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण से जल निकायों का प्रदूषण बढ़ा है, जिससे वे उपभोग योग्य नहीं रहे।
- अप्रभावी कृषि पद्धतियाँ और अत्यधिक भूजल दोहन ने महत्वपूर्ण जल स्रोतों को समाप्त कर दिया है।
- जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बनाया है, जिससे वर्षा पैटर्न अनियमित हुए और नदियों व जलभृतों का पुनर्भरण प्रभावित हुआ।
- खराब जल प्रबंधन और उचित अवसंरचना की कमी ने संकट को और बढ़ाया है।

### भारत में जल शासन

- **संवैधानिक प्रावधान**
  - **राज्य विषय:** जल मुख्यतः राज्य सूची (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि 17) में है।
  - **संघ की भूमिका:** अंतर-राज्यीय नदियों का विनियमन संघ सूची (प्रविष्टि 56) के अंतर्गत।

- **अनुच्छेद 262:** संसद अंतर-राज्यीय जल विवादों का निपटारा कर सकती है।

## भारत में जल शासन की प्रमुख समस्याएँ

- **खंडित संस्थागत ढाँचा:** जल शासन राज्य सूची में होने के कारण अत्यधिक खंडित है, जिससे राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्रीय संघर्ष होते हैं।
- **अभियांत्रिकी-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रभुत्व:** जल प्रबंधन नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से बाँध, नहर और सिंचाई प्रणालियों जैसी बड़े पैमाने की अवसंरचना पर केंद्रित रही हैं।
  - यह दृष्टिकोण आपूर्ति वृद्धि को प्राथमिकता देता है, जबकि पारिस्थितिकीय स्थिरता और माँग प्रबंधन की उपेक्षा करता है।
- **कृषि नीतियाँ:** धान और गेहूँ जैसी जल-प्रधान फसलों को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने अत्यधिक भूजल दोहन को जन्म दिया।
- **पारिस्थितिकी-आधारित दृष्टिकोण का अभाव:** भूमि, जल और पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्संबंधों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया जाता।
  - पर्यावरणीय प्रवाह (e-flows) की उपेक्षा से नदियों और आर्द्रभूमियों का क्षरण होता है।
- **कमज़ोर डेटा प्रणाली:** देशभर में विश्वसनीय, व्यापक और सुलभ जल डेटा का अभाव है।
  - इससे खराब योजना, अप्रभावी आवंटन और अनियंत्रित जल दोहन होता है।
- **माँग-पक्षीय प्रबंधन की उपेक्षा:** जल नीतियाँ मुख्यतः आपूर्ति बढ़ाने पर केंद्रित हैं, न कि माँग प्रबंधन पर।
  - जल उपयोग दक्षता, संरक्षण पद्धतियाँ और यथोचित मूल्य निर्धारण पर सीमित ध्यान।

## आगामी चिंताएँ

- भारत का डेटा सेंटर विस्तार जल संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि अनुमान है कि इस दशक में भारत के 60–80% डेटा सेंटर उच्च जल तनाव का सामना करेंगे।
- अधिकांश डेटा सेंटर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में बने हैं, जहाँ पहले से ही जल की कमी है।

## सरकारी पहल

- **जल शक्ति अभियान (2019):** जल संरक्षण और जल-संकटग्रस्त जिलों में भूजल पुनर्भरण पर केंद्रित।
- **AMRUT 2.0 (2021):** सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में लागू, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें।
  - जल निकायों का पुनर्जीवन और हरित क्षेत्र/पार्कों का विकास भी मिशन का हिस्सा।
- **अमृत सरोवर मिशन:** प्रति ज़िले 75 जल निकायों का विकास और पुनर्जीवन।
- **राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (NAQUIM):** जलभृतों की पहचान और समझ के लिए, सतत प्रबंधन हेतु।
- **अटल भूजल योजना:** प्राथमिक क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन सुधारने हेतु, जहाँ स्थिति गंभीर और अति-शोषित है।
- **जल जीवन मिशन (JJM):** प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु।
  - 2019 से सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में इसे लागू कर रही है।
  - यह पहल नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला जल नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराती है।

## निष्कर्ष

- खंडित और अभियांत्रिकी-प्रधान दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक शासन ढाँचे की आवश्यकता है।
- जल को साझा और सीमित संसाधन मानते हुए विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रबंधन आवश्यक है।
- ध्यान आपूर्ति वृद्धि से हटकर स्थिरता, दक्षता और समानता पर केंद्रित होना चाहिए।

**Source:** DTE

# विधानमंडलों में महिलाओं का आरक्षण

## संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने बल दिया है कि विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत, समावेशी और सहभागी बनाने के लिए आवश्यक है।

## भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व

- लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिशत 2004 तक बहुत कम, लगभग 5% से 10% के बीच रहा।

- 2014 में यह मामूली रूप से बढ़कर 12% हुआ और वर्तमान में 18वीं लोकसभा में 14% है, जो वैश्विक औसत 24% से कम है।
- राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व भी कमज़ोर है, राष्ट्रीय औसत लगभग 9% है।
- 2024 तक, भारत अंतर-संसदीय संघ द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की मासिक रैंकिंग' में 143वें स्थान पर था।

## भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण

- संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों तथा अध्यक्ष पदों पर आरक्षण अनिवार्य किया।
  - कुल 1/3 आरक्षित सीटों में से 33% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होना आवश्यक था।
- **विधानमंडलों में महिलाओं का आरक्षण:** *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* (106वाँ संविधान संशोधन) एक ऐतिहासिक कानून है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, जिसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

## महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण

- **लैंगिक पूर्वाग्रह:** प्रगति के बावजूद, कई महिलाएँ ऐसे रूढ़िवादी दृष्टिकोण का सामना करती हैं जो उनकी क्षमता और नेतृत्व पर प्रश्न उठाते हैं।
- **कार्य-जीवन संतुलन:** पेशेवर जिम्मेदारियों और पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं का संतुलन कठिन होता है, जिससे थकान एवं अवसाद बढ़ता है।
- **उत्पीड़न और भेदभाव:** कार्यस्थल पर उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है, जो महिलाओं को आत्मविश्वासपूर्वक आगे बढ़ने से रोकता है।
- **सांस्कृतिक अपेक्षाएँ:** सामाजिक मानदंड महिलाओं पर पारंपरिक भूमिकाओं का दबाव डालते हैं, जो उनके करियर लक्ष्यों से टकराते हैं।
- **नेटवर्किंग चुनौतियाँ:** पुरुष-प्रधान नेटवर्क महिलाओं के लिए आवश्यक संपर्क स्थापित करना कठिन बना देते हैं।

## महिलाओं के प्रतिनिधित्व का महत्व

- **विविध दृष्टिकोण:** महिलाएँ विशिष्ट अनुभव और दृष्टिकोण लाती हैं, जिससे निर्णय-निर्माण अधिक व्यापक और नवोन्मेषी होता है।
- **आदर्श भूमिका:** नेतृत्व पदों पर महिलाओं की बढ़ती दृश्यता नई पीढ़ियों को प्रेरित करती है और लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देती है।
- **समानता और न्याय:** उचित प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और नीतिनिर्माण में महिलाओं की आवाज़ एवं आवश्यकताओं को शामिल करता है।
- **पंचायतों पर अध्ययन:** हाल के अध्ययनों ने दिखाया है कि आरक्षण ने महिलाओं के सशक्तिकरण और संसाधनों के आवंटन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
- **संतुलित नीतियाँ:** शासन में महिलाओं की भागीदारी ऐसी नीतियों को जन्म देती है जो विशेष रूप से महिलाओं और परिवारों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करती हैं।
- **आर्थिक विकास:** महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

## निष्कर्ष

- विधानमंडलों में महिलाओं का आरक्षण केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को गहराई देने वाला एक संरचनात्मक परिवर्तन है।
- शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना एक अधिक न्यायसंगत, प्रतिनिधिक और जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

**Source: AIR**

NEXT IAS

# भारत द्वारा वर्ष 2028 में COP 33 की मेजबानी के लिए अपनी अभिरुचि वापस

## संदर्भ

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) प्रक्रिया के अंतर्गत COP33 (2028) की मेज़बानी हेतु अपना प्रत्याशीपन वापस ले लिया है।

## वापसी के संभावित कारण

- **प्रशासनिक भार:** COP जैसे आयोजन की मेज़बानी हेतु व्यापक अवसंरचना, सुरक्षा और वित्तीय व्यय की आवश्यकता होती है।
    - प्रस्तावित 2030 राष्ट्रमंडल खेलों (अहमदाबाद) जैसे अन्य बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की तैयारियों में भी समान प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।
- **राजनीतिक समय:** वर्ष 2028, 2029 लोकसभा चुनावों के निकट है, जो प्रशासनिक, राजनीतिक और तार्किक व्यस्तताओं का गहन काल होता है।

## भारत की वापसी का प्रभाव

- COP33 की मेज़बानी से पीछे हटने पर भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच से वंचित हो जाता है, जहाँ वह जलवायु वार्ताओं में वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व प्रदर्शित कर सकता था।
- भारत को नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास पहलों में अपनी प्रगति को वैश्विक समुदाय के समक्ष उजागर करने का अवसर नहीं मिलेगा।
- यह निर्णय दक्षिण एशिया की जलवायु संवेदनशीलताओं पर वैश्विक ध्यान को सीमित कर सकता है।
- ऐसे वैश्विक आयोजनों की मेज़बानी जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है, जो अब अपेक्षाकृत बाधित हो सकते हैं।

## COP (कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़) क्या है?

- कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (COP) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) की वार्षिक सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था है।
    - इसमें लगभग 200 देश एकत्र होकर वैश्विक जलवायु कार्रवाई, जलवायु वित्त और उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धताओं पर वार्ता करते हैं।
    - प्रथम COP सत्र मार्च 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुआ था।
- **बैठकें:** COP प्रत्येक वर्ष मिलती है, जब तक कि पक्षकार अन्यथा निर्णय न लें।
    - COP अध्यक्षता पाँच मान्यता प्राप्त UN क्षेत्रों (अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप और अन्य) के बीच घूमती रहती है।
    - COP की बैठकें सामान्यतः बॉन में होती हैं, जब तक कोई पक्षकार सत्र की मेज़बानी की पेशकश न करे।

### संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC)

- UNFCCC तीन रियो अभिसमयों में से एक है, जिसे 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता अभिसमय (CBD) और मरुस्थलीकरण से मुकाबला अभिसमय (UNCCD) के साथ अपनाया गया था।
- यह 1994 में प्रभावी हुआ।
- इसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है, ताकि जलवायु प्रणाली पर खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप रोका जा सके।
- **सचिवालय:** UNFCCC सचिवालय बॉन, जर्मनी में स्थित है।
- **प्रमुख साधन:**
    - **क्योटो प्रोटोकॉल (1997):** विकसित देशों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए।
    - **पेरिस समझौता (2015):** एक ऐतिहासिक सार्वभौमिक समझौता, जिसका उद्देश्य औद्योगिक-पूर्व स्तरों से ऊपर वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे, और अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।

- **वित्तीय तंत्र:** विकासशील देशों की सहायता हेतु ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF), ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF), और एडाप्टेशन फंड जैसे कोषों का प्रबंधन और समन्वय करता है।

### हाल के COP सम्मेलन

- **COP27:** शर्म अल-शेख, मिस्र (2022)।
- **COP28:** दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (2023) – "UAE Consensus" जिसमें जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण पर बल।
- **COP29:** बाकू, अज़रबैजान (2024)।
- **COP30:** बेलें, ब्राज़ील (2025)।
- **COP31:** अंताल्या, तुर्किये (2026) में प्रस्तावित।

**Source: DTE**

## ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजनाओं हेतु प्रारूप मास्टर प्लान

### संदर्भ

- ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के विकास हेतु तैयार किए गए प्रारूप मास्टर प्लान में पर्यटन को विकास का "प्रमुख आर्थिक चालक" बनाने पर बल दिया गया है।

### ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

- परियोजना को 2022 में चरण-I स्वीकृति प्राप्त हुई।
- **कार्यान्वयन प्राधिकरण:** यह परियोजना पोर्ट ब्लेयर स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) द्वारा लागू की जा रही है।
- परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नगर विकास, तथा 450 MVA गैस एवं सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र का निर्माण शामिल है।
  - ICTT और विद्युत संयंत्र का स्थल ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित गालाथेया खाड़ी है, जहाँ कोई मानव बस्ती नहीं है।

### अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)

- ANIIDCO एक अर्ध-सरकारी एजेंसी है, जिसे 1988 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया।
- इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का विकास और व्यावसायिक उपयोग करना है, ताकि क्षेत्र का संतुलित एवं पर्यावरण-अनुकूल विकास हो सके।
- इसकी मुख्य गतिविधियों में पेट्रोलियम उत्पादों, भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा और दूध का व्यापार, पर्यटन रिसॉर्ट्स का प्रबंधन तथा पर्यटन एवं मत्स्य पालन हेतु अवसंरचना विकास शामिल है।

### प्रारूप योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- योजना 2055 तक अनुमानित 3.36 लाख जनसंख्या के लिए तैयार की गई है।
  - उस समय तक मास्टर प्लान से प्रति वर्ष एक मिलियन से अधिक पर्यटकों के आगमन की अपेक्षा है।
- इसमें नगर को विभिन्न क्लस्टरों में विभाजित करने का प्रस्ताव है:
  - प्रशासनिक एवं संस्थागत क्लस्टर
  - बहु-आयामी लॉजिस्टिक क्लस्टर (जिसमें हवाई अड्डा, बंदरगाह, माल एवं यात्री टर्मिनल, रक्षा क्षेत्र और हरित विकास शामिल होंगे)
  - पर्यटन क्लस्टर
- विकास की शुरुआत "एंकर परियोजनाओं" से होगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP), ग्रेट निकोबार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और GNI गैस एवं सौर ऊर्जा संयंत्र (2025–2029)।
- प्रथम चरण का दूसरा भाग (2030–2035) पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि और उन्नत अवसंरचना का साक्षी होगा।
- द्वितीय चरण (2036–2041) में पर्यटन यातायात के सुदृढ़ीकरण और अन्य संभावित आर्थिक चालकों के अवसरों का उद्घाटन होगा।
- अंतिम चरण (2042–2047) को "भविष्य विकास" के लिए आरक्षित किया गया है।

## परियोजना से संबंधित चिंताएँ

- **पारिस्थितिक संवेदनशील:** विशाल पैमाने पर उष्णकटिबंधीय वनों का विचलन द्वीप के अत्यंत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालता है।
- **जैव विविधता ह्रास:** आवासों का विनाश स्थानिक प्रजातियों को संकट में डाल सकता है।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** विशेषज्ञों ने परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील है और लागत बहुत अधिक है।
- **जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन:** परियोजना कथित रूप से शॉम्पेन जनजाति (विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह – PVTG) के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- **भूकंपीय जोखिम:** प्रस्तावित बंदरगाह एक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जिसने 2004 की सुनामी के दौरान गंभीर भूवैज्ञानिक घटना का अनुभव किया था।

## परियोजना का महत्व

- **रणनीतिक समुद्री स्थान:** मलक्का जलडमरूमध्य के निकटता से भारत को विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों की निगरानी में सुविधा होगी।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण:** द्वि-उपयोगी अवसंरचना (बंदरगाह और हवाई अड्डा) भारत की रक्षा लॉजिस्टिक्स, निगरानी और इंडो-पैसिफिक में नौसैनिक पहुँच को सुदृढ़ करेगी।
- **वैश्विक व्यापार केंद्र क्षमता:** ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत की विदेशी बंदरगाहों (जैसे सिंगापुर/कोलंबो) पर निर्भरता कम कर सकता है और भारत को एक प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्र बना सकता है।
- **द्वीप क्षेत्र का आर्थिक विकास:** अवसंरचना, संपर्क और शहरी विकास निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देंगे।
- **नीली अर्थव्यवस्था संवर्धन:** यह समुद्री संसाधनों जैसे शिपिंग, मत्स्य पालन और समुद्र-आधारित उद्योगों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **क्षेत्रीय संपर्क एवं एक्ट ईस्ट नीति:** दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क बढ़ाकर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक दृष्टि को सुदृढ़ करता है।

### अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

- **स्थान:** ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्यभूमि से 1,300 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं।
  - यह 6° 45' N से 13° 41' N और 92° 12' E से 93° 57' E तक फैला है।
- यह द्वीपसमूह 500 से अधिक बड़े और छोटे द्वीपों से बना है, जिन्हें दो समूहों में विभाजित किया गया है – अंडमान द्वीप एवं निकोबार द्वीप।
  - 'टेन डिग्री चैनल' उत्तरी अंडमान द्वीपों को दक्षिणी निकोबार द्वीपों से अलग करता है।

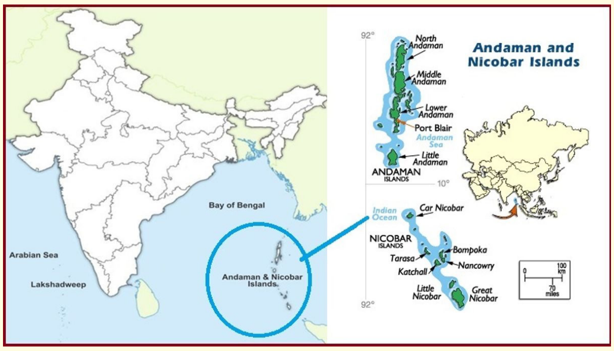


### अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित तथ्य

- सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है, जिसका दक्षिणी छोर सुमात्रा (इंडोनेशिया) से केवल 150 किमी दूर है।
- **सर्वोच्च बिंदु:** सैडल पीक (उत्तर अंडमान – 732 मीटर), माउंट थुलियर (ग्रेट निकोबार – 642 मीटर)।
- पंडुनस या निकोबार ब्रेडफ्रूट एक दुर्लभ फल है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में पाया जाता है।
- बैरेन द्वीप इस समूह का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है।

**Source:** TH

# संक्षिप्त समाचार

## महात्मा ज्योतिराव फुले

**संदर्भ**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

### ज्योतिराव फुले के बारे में

- **जन्म:** 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के अंतर्गत आज के खटगांव गाँव में।
- **उपाधि:** उनका परिवार 'माली' जाति से था और उनकी मूल उपाधि 'गोरहे' थी। 11 मई, 1888 को महाराष्ट्र के समाज सुधारक विठलराव कृष्णाजी वंदेकर ने उन्हें 'महात्मा' की उपाधि प्रदान की।
- **विचारधारा एवं प्रभाव:** उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद पर केंद्रित थी। उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक "*द राइट्स ऑफ मैन* से प्रेरणा ली।
- **विवाह:** मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह सावित्रीबाई से हुआ। दोनों ने मिलकर 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में देश का प्रथम कन्या विद्यालय स्थापित किया।
- **बालहत्या प्रतिबंधक गृह:** 1863 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने *बालहत्या प्रतिबंधक गृह* की स्थापना की, जो शिशुहत्या रोकने एवं गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं तथा बलात्कार पीड़िताओं की सहायता हेतु भारत का पहला गृह था।
- **सत्यशोधक समाज:** 1873 में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ *सत्यशोधक समाज* की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों की सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना था।
  - माना जाता है कि 'दलित' शब्द का प्रयोग सबसे पहले फुले ने उत्पीड़ित जनसमूह के लिए किया।
- **साहित्यिक कृतियाँ:** *गुलामगिरी*, *शेतकऱ्याचा आसूड* (किसान की चाबुक), और *तृतीय रत्न*।

**स्रोत: PIB**

## प्रोजेक्ट ग्लासविंग

### संदर्भ

- एंथ्रॉपिक ने क्लॉड मिथोस  नामक अपने उन्नत AI मॉडल से जुड़ी एक वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल प्रोजेक्ट ग्लासविंग शुरू की है।

### क्या है प्रोजेक्ट ग्लासविंग?

- यह एंथ्रॉपिक द्वारा संचालित एक वैश्विक साइबर सुरक्षा पहल है।
- इसमें लगभग 40 वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियाँ और ओपन-सोर्स योगदानकर्ता शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करना है।
- परियोजना चयनित साझेदारों को *क्लाउड मिथोस* मॉडल तक प्रारंभिक पहुँच प्रदान करती है।
- इसे समर्थन प्राप्त है:
  - $100 मिलियन AI उपयोग क्रेडिट
  - $4 मिलियन ओपन-सोर्स सुरक्षा समर्थन
- प्रमुख भागीदार कंपनियाँ: अमेज़न वेब सर्विसेज, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, NVIDIA आदि।

### क्लाउड मिथोस की भूमिका

- *क्लाउड मिथोस*  एक उन्नत लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है, जिसमें असाधारण कोडिंग और भेद्यता पहचान क्षमताएँ हैं।
- यह कर सकता है:
  - शून्य-दिवसीय भेद्यताओं (पहले अज्ञात खामियाँ) का पता लगाना।
  - व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सिस्टमों में दशकों पुराने बग की पहचान।
  - भेद्यताओं को संयोजित कर सिस्टम-स्तरीय नियंत्रण प्राप्त करना।

**स्रोत: TH**

## ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म

### संदर्भ

- ईरान में ग्रे वुल्फ (भेड़िया) की गिरावट प्राचीन ज़ोरोएस्ट्रियन मान्यताओं से जुड़ी है, जहाँ भेड़िये को एक दुष्ट जीव माना जाता था।

### ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म क्या है?

- ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना जरथुस्त्र (ज़ोरोस्टर) ने की थी।
- इसकी उत्पत्ति प्राचीन फारस (आधुनिक ईरान) में लगभग 1500–1000 ईसा पूर्व हुई।
- यह एक सर्वोच्च ईश्वर अहुरा मज़्दा (Wise Lord) की उपासना पर केंद्रित है।
- धर्म का मूल सिद्धांत अच्छाई और बुराई के बीच ब्रह्मांडीय संघर्ष है, जो "सद्विचार, सद्वचन, सद्कर्म" पर आधारित नैतिक जीवन को बढ़ावा देता है।
- **पवित्र ग्रंथ:** *अवेस्ता*, जिसमें जरथुस्त्र द्वारा रचित *गाथाएँ* (भजन) शामिल हैं।
- **पूजा एवं पवित्रता:** अग्नि पवित्रता और दिव्य प्रकाश का केंद्रीय प्रतीक है, जो अहुरा मज़्दा की बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। पूजा हेतु अग्नि मंदिरों का उपयोग किया जाता है।

### पतन और वर्तमान स्थिति

- 7वीं शताब्दी ईस्वी में फारस पर इस्लामी विजय के बाद ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म धीरे-धीरे ईरान में प्रमुख धर्म के रूप में पतन की ओर गया।
- वर्तमान में ईरान में छोटे ज़ोरोएस्ट्रियन समुदाय निवास करते हैं।
- **भारत में उपस्थिति:** 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच ज़ोरोएस्ट्रियन समूह फारस से भारत आए और *पारसी* कहलाए।
  - वे भारत में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त धार्मिक अल्पसंख्यक हैं।
  - 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या लगभग 57,264 है।
  - यह समुदाय आकार में छोटा होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है।

**स्रोत: DTE**

## इंडस नदी डॉल्फ़िन

### संदर्भ

- डॉल्फ़िन विश्व की सबसे संकटग्रस्त स्वच्छ जल की सीटेशियन प्रजातियों में से एक है और इंडस नदी प्रणाली की प्रमुख प्रतीक प्रजाति मानी जाती है।

### इंडस नदी डॉल्फ़िन

- **सीटेशियन (Cetaceans):** ये जलीय स्तनधारी होते हैं जिनमें व्हेल, डॉल्फ़िन और पोरपॉइज़ शामिल हैं।
- इंडस नदी डॉल्फ़िन कभी पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत में इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों में व्यापक रूप से पाई जाती थी।
  - लेकिन प्रवाह नियंत्रण, संपर्क की हानि, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मछली पकड़ने के उपकरणों में फँसने के कारण इसका क्षेत्र अत्यधिक सिकुड़ गया है।
- इंडस नदी डॉल्फ़िन कार्यात्मक रूप से अंधी होती है और पूरी तरह से इकोलोकेशन पर निर्भर करती है ताकि वह मार्ग खोज सके, शिकार कर सके तथा अवरोधों से बच सके।

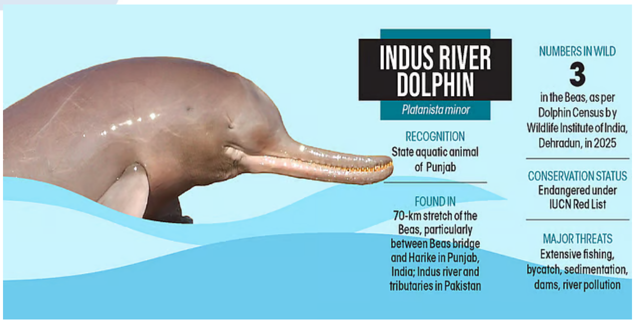


**स्रोत: DTE**

## सूक्ष्मजीवी मीथेन

### संदर्भ

- एक नए अध्ययन के अनुसार, गैर-उत्पादक तेल और गैस कुओं से रिसने वाली सूक्ष्मजीवी मीथेन का उत्सर्जन पहले के अनुमान से लगभग 1,000 गुना अधिक दर पर हो रहा है।

## परिचय

- **सूक्ष्मजीवी मीथेन :** यह मीथेन गैस सूक्ष्मजीवों, विशेषकर *मेथेनोजेन्स* नामक आर्किया द्वारा उत्पन्न होती है।
- यह ऑक्सीजन-रहित (एनेरोबिक) वातावरण में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होती है।
- यह वैश्विक कार्बन चक्र का एक प्रमुख घटक है और आर्द्रभूमि, धान के खेत, लैंडफिल तथा जुगाली करने वाले पशुओं की पाचन प्रणाली में उत्पन्न होती है।
- मीथेन, चाहे किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो, वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।

**स्रोत: DTE**